राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/59

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	42/25	25/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री छीतीबाई पत्नी मोहनलाल श्री प्रभूलाल पिता भूरा

निवासी किशोरपुरा निवासी किशोरपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पो

डिक्रीदार मदयून

श्री J.C.D. श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

जेर अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

दीदी बनाम प्रशासन

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 42 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2 2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई ... वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को ... पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई ... वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को ... पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद पुकार अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड ... बिजौलियां जिला-...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 42/2025 दिनांक 25/2/2025

घीसी बाई पत्नि मोहन लाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
दाखी पत्नि खाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
धर्मा पुत्र मोहनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
रंगलाल पिता खाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
सीमा पुत्री मोहनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीगण

बनाम

प्रभुलाल पिता भुरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. कान्तादेवी पत्नि भेरू जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 ....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : – दिनांक 24-03 2025

प्रार्थना पत्र हम घीसीबाई पत्नि मोहन, धर्मा, सीमा पिता मोहन दाखी पत्नि खाना, रंगलाल पिता खाना सभी माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 151 पर अंकित आराजी 1096/3 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सु गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रा वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बा शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही प है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया गया व प नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या पर अंकित आराजी 1096/3 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसी के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या ५२ / 2025 दिनांक 25/12/2025

प्रेषिति :–

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या ५२/2025 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

1 धीरी बाई पत्नि गोहन लाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2 दाखी पत्नि खाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3 धर्मा पुत्र मोहनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4 रंगलाल पिता खाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
5 सीमा पुत्री मोहनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पिता भुरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. कान्तादेवी पत्नि भेरू जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 151 पर अंकित आराजी 1096/3 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिनिरक्षिक बिजौलियाकंला को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
जिला-भीलवाड़ा

लिए र लिया है।

हस्ताक्षर वकील

ता. 24/12/25 सन्